न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 19/2024 (जीसीएमएस सं.–2024/67) दायर दिनांक 29.11.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

श्री मेघराज पुत्र लालचन्द शर्मा (मालिक एवं विक्रेता) वार्ड न. 30 (पुराना) पुराना बाजार पठानों की मस्जिद के पास सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। मै0–पण्डित जी दूध भण्डार, त्रिमूर्ति मन्दिर के पास सूरतगढ़
——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांकः–16/10/2025

1. यह परिवाद आवेदक श्री हेत राम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवाद के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023 दिनांक 13.03.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता/खासुऔनि/संस्था/2024/660 दिनांक 16.03.2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया, निरन्तरता में परिवादी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक –प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3/2023 दिनांक 01.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता/खासुऔनि/संस्था/2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया है अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 05.07.2024 को समय सुबह 10:30 एएम बजे को, मैसर्स – पण्डित जी दूध भण्डार, त्रिमूर्ति मन्दिर के पास, सूरतगढ, जिला–श्रीगंगानगर पर पहुँचा। मौके पर उपस्थित श्री मेघराज पुत्र श्री लालचन्द शर्मा को अपना परिचय देकर संस्थान में तीन टंकियों में रखे दूध के बारे में जानकारी चाही तो विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में तीन टंकियों में रखे दूध (खुला) लगभग 35 किलो (लीटर) को गाय का दूध होना एवं आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से गाय का दूध (खुला) नमूना जॉच वास्ते लेने की इच्छा व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया, जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मैंने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे गाय का दूध (खुला) में से हिला मिला कर 2000 एमएल गाय का दूध (खुला) विक्रेता से साफ सुथरे बर्तन में खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा गाय का दूध (खुला) का नगद भुगतान 90 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मेघराज पुत्र श्री लालचन्द शर्मा (मालिक एवं विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री मेघराज पुत्र श्री लालचन्द शर्मा (मालिक एवं विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा गाय का दूध (खुला) 2000 एमएल को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में लेकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फॉरमेलिन की 40–40 बूँदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2375 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना मागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गौद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2375 नियमानुसार चारों नमूना मागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर स्लिप पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर [illegible] नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक [illegible] को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मेघराज पुत्र श्री लालचन्द शर्मा (मालिक एवं विक्रेता) एवं गवाहान ने भी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म स0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं त्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2024/738–40 दिनाक 25.07.2024 के अनुसार खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ गाय का दूध (खुला) का नमूना सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जाँच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुन जांच हेतु पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2024/738–40 दिनाक 25.07.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया। परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने कोई आवेदन नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 04.11.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त केस के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपुर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त फेस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/1666–67 दिनांक 06.11.2024 द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रकरण में श्री मेघराज पुत्र श्री लालचन्द शर्मा (मालिक एवं विक्रेता) ने एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् विक्रेता व मालिक एफ. एस एस.ए 2006 की धारा–31(2) की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील पर दिनांक 07.05.2025 के पश्चात अभियुक्त हाजिर नहीं आया तथा जवाब भी पेश नहीं किया गया।

4. पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या/एलएस/828/एक्ट/2024/828 दिनांक 16.07.2024 में उक्त नमूना **Sub standard food** पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा **Sub Standard food** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री मेघराज पुत्र लालचन्द शर्मा (मालिक एवं विक्रेता), वार्ड न. 30 (पुराना), पुराना बाजार पठानों की मस्जिद के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर मै0 पण्डित जी दूध भण्डार, त्रिमूर्ति मन्दिर के पास सूरतगढ़ को राशि 2,00,000 रूपये (दो लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट
सूरतगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner